

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक) बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक- 25/3/26

विषय- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 कुल ₹ 46,32,599/- (छियालीस लाख बत्तीस हजार पाँच सौ निन्यानवे रूपए) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

कार्यपालक अभियंता द्वारा PMIS के माध्यम से समर्पित ऑनलाईन अधियाचना पर संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्न विवरणीनुसार कुल ₹ 46,32,599/- (छियालीस लाख बत्तीस हजार पाँच सौ निन्यानवे रूपए) मात्र का व्यय की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदान की जाती है :-

क	भवन प्रमंडल का नाम	योजना/कार्य का नाम	अधियाचना आई०डी०संख्या	प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या/ दिनांक	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवंटन हेतु स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6
1	भवन प्रमंडल, जमुई	Renovation work of Govt. Ambedkar Welfare Hostel K.K.M collage jamui	30483	215/ 29.01.25	₹12,77,395/- (बारह लाख सतहत्तर हजार तीन सौ पंचानवे रूपये)
2	भवन प्रमंडल, सासाराम	Repair work of Rajkiya ST Residential Boys High School Nagatolli ,Rohtas	30209	115/ 04.0.24	₹14,94,505/- (चौदह लाख चौरानवे हजार पाँच सौ पाँच रूपये)
3	भवन प्रमंडल, सासाराम	Repair work of Babu jagjiwan Ram Welfare hostel Dehri Sasaram	30449	115/ 04.0.24	₹18,60,699/- (अठारह लाख साठ हजार छः सौ निन्यानवे रूपये)
कुल योग:-					₹46,32,599/-

(छियालीस लाख बत्तीस हजार पाँच सौ निन्यानवे रूपये)

- उक्त कार्य पर राशि का व्यय मांग संख्या-03 के मुख्यशीर्ष-2059-लोक निर्माण कार्य-उपमुख्यशीर्ष-60-अन्य भवन -लघुशीर्ष-053-रख रखाव तथा मरम्मत-उपशीर्ष-0014-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के भवन का अनुरक्षण एवं मरम्मत हेतु विपत्र कोड-03-2059600530014 के विषयशीर्ष-27.02-अनुरक्षण एवं मरम्मत अन्तर्गत उपबंधित राशि से वित्तीय वर्ष 2025-26 में किया जाएगा।
- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग होंगे।
- इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी।
- प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
- स्वीकृत राशि के विरुद्ध आवंटन की कार्रवाई सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से की जा रही है।

(राजेश कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव।

पटना, दिनांक- 25/3/26

ज्ञापांक- 2967 (अ)

प्रतिलिपि-सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, संबंधित/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।